बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं०– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

आदेश

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आवासीय भवनों एवं आवासीय परिसरों के संधारण/संचालन हेतु मानक प्रक्रिया (SOP)

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवासन के लिए विभिन्न स्थानों पर आवासीय परिसरों में आवासीय एवं संबंधित भवन अवस्थित हैं। आवासीय परिसरों के अधिकांश भवन काफी पुराने लगभग 50 वर्ष या अधिक के हैं। इनमें कतिपय भवन आज भी अच्छी स्थिति में हैं और उनमें कर्मी निवास करते हैं। कतिपय भवनों की संरचना ठीक है, परन्तु उपयोग में नहीं रहने के कारण अनुपयोगी अवस्था में हैं। कतिपय ऐसे भवन हैं, जो जर्जर अवस्था में है और उनका मरम्मत नहीं कराया जा सकता है, साथ ही कतिपय भवन मनोरंजन एवं खेल (Recreation and Games) के लिए भी हैं, जो या तो कामचलाऊ स्थिति में अथवा जर्जर अवस्था में हैं।

कतिपय आवासीय परिसरों की पक्की चहारदीवारी या तो सही स्थिति में है अथवा कई एक स्थानों पर टूटी हुई है। कतिपय परिसरों की पक्की चहारदीवारी नहीं है।

वर्त्तमान परिपेक्ष्य में इन आवासीय परिसरों, परिसर के भवनों तथा चहारदीवारी को ठीक करने उनके नियमित रख–रखाव की आवश्यकताओं को देखते हुए व्यापक विचार विमर्श कर आवासीय परिसरों एवं उनके भवनों के संधारण, नियमित मरम्मति एवं संचालन आदि हेतु मानक प्रक्रिया तैयार की गई है।

जल संसाधन विभाग के आवासीय परिसरों में पदाधिकारियों तथा कर्मियों के पदक्रमानुसार उन्हें आवंटित किये जाने वाले भवनों को A से I तक की श्रेणियों में रखा गया है। कर्मियों की संख्या तथा आवासीय भवनों की उपलब्धता के अनुसार इनका आवंटन उन्हें किया जाता है।

(I) आवासीय परिसर

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अनेक आवासीय परिसर हैं, जिनमें विभाग के कर्मी उन्हें किए गए आवास आवंटन के आधार पर निवास करते हैं। परन्तु कतिपय आवासीय परिसर ऐसे भी हैं, जिनमें अवस्थित आवासीय भवनों की स्थिति जर्जर रहने के कारण या उसके नजदीक के स्थलों पर विभाग के कर्मियों का वर्त्तमान में कार्यालय नहीं रहने या अन्य कारणों से किसी भी रूप में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या भविष्य में भी उपयोग में लाए जाने की क्षीण सम्भावना है। इन परिसरों की उपयोगिता के लिए :–

1. वैसे आवासीय परिसरों को चिन्हित किया जाएगा जो वर्त्तमान में पूर्णतः अनुपयोगी हैं और उनका उपयोग विभाग की आवश्यकताओं के लिए नहीं किया जा सकता है।
2. कंडिका–01 में चिन्हित परिसरों को बिहार सरकार के अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वयन कराई जा रही जन–उपयोगी योजनाओं के लिए उपयोग में लाने की सम्भाव्यता के आलोक में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

3. वैसे आवासीय परिसरों को चिन्हित किया जाएगा जो उपयोग में हैं अथवा विभागीय उपयोग में लाया जा सकता है।
4. कंडिका–03 में चिन्हित परिसरों में यदि पक्की चहारदीवारी है तो उनके आवश्यकतानुसार रंग–रोगन कराया जाएगा।
5. कंडिका–03 में चिन्हित जिन परिसरों का चाहरदीवारी है, परन्तु वह कतिपय स्थानों पर टूटी हुई है और जिनकी मरम्मती आवश्यक है, उसे आवश्यकतानुसार मरम्मती कार्य करा कर ठीक करा लिया जाएगा।
6. कंडिका–03 में चिन्हित जिन परिसरों की चहारदीवारी नहीं है, उन परिसरों की मापी कराकर चहारदीवारी का उनका निर्माण मितव्ययिता को ध्यान में रख कर किया जाएगा। नए चहारदीवारी के पक्का निर्माण में भारतीय मानक व्यूरो का राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। अन्य वैकल्पिक प्रकार से निर्माण कराने के पहले मुख्य अभियंता, रूपांकन एवं गुण नियंत्रण, पटना से रूपांकन तथा रेखांकन का अनुमोदन आवश्यक होगा।
7. परिसरों में आगमन तथा निकासी के स्थान पर स्टील का फाटक, जिसमें बड़ा वाहन जा सके तथा उससे सटे चौकीदार के लिए एक कमरा (यूरिनल सहित) का प्रावधान किया जाएगा।
8. परिसरों के आगमन तथा निकासी द्वार पर परिसर के नक्शा पर पेंट कर के स्थापित किया जाएगा।
9. परिसर की सड़कों को ठीक अवस्था में रखा जाएगा तथा आवश्यकतानुसार टूटे हुए स्थानों की मरम्मती कराई जाएगी।
10. परिसरों में आवश्यतानुसार प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
11. परिसरों का Drainage प्लान तैयार कराया जाएगा, तद्नुसार सड़कों की स्थिति की भी जाँच की जाएगी। इसके अनुसार जल जमाव की समस्या (यदि हो) का समाधान किया जाएगा। परिसर के ढलान का अध्ययन कर सम्प की व्यवस्था की जाएगी, जहां से जल निकासी की जा सके।
12. यदि परिसर में भवनों के लिए Common Septic Tank है तो उसकी स्थिति की जाँच की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार मरम्मती/सफाई करा कर ठीक करा लिया जाएगा।
13. परिसरों में जलापूर्ति (Pipe flow /Potable Water) की व्यवस्था की जाएगी।
14. परिसरों के खाली स्थानों, सड़क के किनारे आदि स्थलों पर वृक्ष लगाए जाएगें।
15. जहाँ भवनों का Numbering/नामाकरण नहीं है, वहां उनका Numbering /Naming कराया जाएगा।
16. परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु यदि स्थल उपलब्ध हो तो चिह्नित कर ऊर्जा विभाग से संपर्क कर सोलर प्लेट स्थापित कराया जायेगा।

(II) आवासीय परिसरों में स्थित आवासीय भवन :–

1. प्रत्येक आवासीय परिसर में अवस्थित आवासीय भवनों को उनकी श्रेणी (A से I) के अनुसार उनकी संख्या की गणना कर कुल भवनों की संख्या की सूची नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालयों में संधारित की जाएगी।
2. आवासीय भवनों से संबंधित अन्य सूचनाओं का भी संधारण निम्नलिखित सारणी के प्रपत्र में किया जाएगा :–

सारणी :– आवासीय भवनों की विवरणी

क्र0	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	परिसर प्रभारी पदाधिकारी का नाम (कार्य0 अभि0)	आवासीय शिविर का पता	आवास		आवास की स्थिति					अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				प्रकार	संख्या	निर्माण का वर्ष	वर्तमान में आवासित (सं0)	सामान्य मरम्मती के योग्य (सं0)	विशेष मरम्मती के योग्य (सं0)	जर्जर मरम्मती के योग्य नहीं (सं0)	
				A							
				B							
				C							
				D							
				E							
				F,G,H,I							

3. कंडिका–02 में आवासों की स्थिति यथा सामान्य मरम्मति के योग्य /विशेष मरम्मति योग्य /ध्वस्त करने योग्य का आकलन मुख्य अभियंता परिक्षेत्र स्तर पर अधीक्षण अभियंता, रूपांकन आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल (परिक्षेत्राधीन) की अध्यक्षता में कार्यालय भवनों का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नरूपेण है :–

क्र0	पदनाम	कार्य
1	अधीक्षण अभियंता, रुपांकन आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल (परिक्षेत्राधीन)	अध्यक्ष
2	कार्यपालक अभियंता, रुपांकन प्रमंडल (परिक्षेत्राधीन)	सदस्य
3	कार्यपालक अभियंता (संबंधित)	सदस्य सचिव
4	कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) (परिक्षेत्र के लिए प्राधिकृत)	सदस्य
5	कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (परिक्षेत्र के लिए प्राधिकृत)	सदस्य

4. प्रक्षेत्र में समिति का गठन करने के लिए विभागीय पत्रांक–46 दिनांक–31.01.2024 निर्गत है। यह समिति जर्जर अवस्था वाले भवनों को चिन्हित कर उनके अवशेष का मूल्यांकन करते हुए प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को समर्पित करेगी। मुख्य अभियंता निलामी के माध्यम

से ऐसे भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान करेगें तथा संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण करा कर संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को प्रतिवेदित करेंगे।

5. पुराने मरम्मती योग्य भवनों के सभी अवयव (Components) यदि खराब स्थिति में हैं, तो उनकी मरम्मती करायी जाएगी।
6. यदि इनके छतों पर पानी का जमाव होता है, जिसके कारण दीवारों पर सीलन का प्रभाव दिखता है, तो उनके छतों को पानी के बहाव के लिए न्यूनतम् आवश्यक 1:200 के ढ़लान में मरम्मत करा कर ठीक किया जाएगा। साथ ही छत की जल निकासी के लिए ड्रेन पाइप लगाया जाएगा।
7. आवासीय भवनों का रसोई घर, स्नानघर तथा शौचालय को आवश्यकतानुसार उन्नत किया जाएगा। इनमें जमीन तथा दीवालों पर टाइल्स लगाया जाएगा। जिन रसोईघरों में Working Platform नहीं है, वहाँ Platform बना कर इनके Top पर काला ग्रेनाइट लगाया जाएगा। प्रत्येक Working Platform के साथ kitchen Sink लगा रहेगा। इनमें पाइप के द्वारा पानी का Supply किया जाएगा। रसोई तथा गुसलखानों में Exhaust fan को लगाया जाएगा।
8. यदि ध्वस्त किये जाने वाले भवनों की संख्या किसी श्रेणी में न्यूनतम् 04 (चार) या इससे अधिक है तो इसके बदले में बहुमंजिला भवनों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। इन्हें मुख्यतः Framed Structure के रूप में कराया जाएगा, जिसके भू–तल पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।
9. सभी नए आवासीय भवन का निर्माण Framed Structure के रूप में Apartment भवन के तरह कराया जाएगा।
10. बहुमंजिला भवनों का निर्माण आस–पास के सड़क तल से 1 मी0 ऊँचा अथवा परिसर में जल जमाव के उच्चतम् स्तर से कम से कम 1 मी0 ऊँचे स्थल पर कराया जाएगा। यदि परिसर के अन्दर जमीन का Level वर्त्तमान में सभी स्थानों पर जल जमाव वाला है तो प्रस्तावित परिसर की जमीन को भर कर ऊँचा कर जल जमाव से मुक्त रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के प्रावधानों को संतुष्ट करते हुए किया जाएगा।
11. सभी नव निर्माण का Typical Design तथा Drawing मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना द्वारा वर्तमान में लागू भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों को संतुष्ट करते हुए किया जाएगा।
12. भवनों का Typical Design तथा Drawing उसके Type के अनुसार अलग–अलग बहुमंजिला भवन के रूप में किया जाएगा।
13. सभी आवासीय कॉलोनी में यथासंभव एक Technical Room एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी।
14. नये भवनों के निर्माण की स्थिति में यथासम्भव वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। यथासम्भव अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. नए भवनों का रूपांकन एवं निर्माण अद्यतन अग्नि सुरक्षा मानको को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

16. प्रत्येक Type में यदि किसी दिव्यांग कर्मी को आवास आवंटित किया जाता है तो इसे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन का Improvement (सुधार) अधिकतम् एक माह के अन्दर करा दिया जाएगा।

17. भवनों का संधारण तथा सामान्य रख–रखाव के लिए कराए जाने वाले कार्यों की सूची **परिशिष्ट–I** के रूप में संलग्न है।

18. भवनों के नियमित वार्षिक रख–रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष निम्न कर्णांकित राशि उपलब्ध करायी जाएगी :–

Type	राशि रू0 (हजार)
A	10
B	8
C	7
D	6
E,F,G,H,I	4

यह आवंटन भवनों की संख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु उनका व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अपेक्षित (अनुमानित राशि का आकलन **परिशिष्ट–II** पर संलग्न है)।

19. भवनों के नियमित रख–रखाव /अपेक्षित मरम्मती तथा रंग–रोगन हेतु उनके Type (प्रकार) के अनुरूप निम्नलिखित सारणी के अनुसार चक्रीय क्रम में प्रत्येक 3 वर्षों पर तीन किश्तों में कर्णांकित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक प्रकार (Type) के भवन के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग दूसरे प्रकार (Type) के भवन (आवास) या उसी प्रकार (Type) के दूसरे भवन के लिए नहीं किया जाएगा।

क्र0 सं0	Type	प्रथम किस्त रू0 (हजार)	द्वितीय किस्त रू0 (हजार)	तृतीय किस्त रू0 (हजार)	कुल रू0 (हजार)
1	A	30	30	30	90
2	B	25	25	25	75
3	C	22	22	22	66
4	D	17	17	17	51
5	E	10	10	10	30
6	F,G,H,I	8	8	8	24

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी, जिसमें आवश्यकतानुसार समुचित संशोधन किया जा सकेगा (अनुमानित राशि का आकलन **परिशिष्ट–II** पर संलग्न है) ।

तीन वर्षीय मरम्मती/रंग–रोगन कार्य का क्रम निम्नवत् होगा :–

- आवास का प्रकार A, B तथा G –प्रथम वर्ष
- आवास का प्रकार C, F तथा H –द्वितीय वर्ष
- आवास का प्रकार D, E तथा I–तृतीय वर्ष

चक्र का प्रारंभ SOP लागू होने का प्रथम वर्ष 2024–25 होगा।

20. प्रत्येक तीन वर्षों पर आवासीय भवनों की रंगाई, पुताई आदि के लिए चक्रीय क्रम में वर्षवार आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इन कार्यों का कार्यक्रम क्षेत्रीय मुख्य अभियंता वर्णित वर्ष में 10 अप्रैल तक स्वीकृत कर विभाग को सूचित करते हुए संबंधित प्रमंडल को गो–अहेड (Go-ahead) प्रदान करेंगे। चक्र का प्रारंभ SOP लागू होने का प्रथम वर्ष 2024–25 को माना जायेगा।

21. आवासीय परिसर के लिए प्रत्येक वर्ष रू0 100000/(एक लाख रूपये) प्रति एकड़ की दर से आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। (कराये जाने वाले कार्यों की सूची **परिशिष्ट–III** पर संलग्न) है।

22. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अनेक ऐसे भवन (आवासीय/ कार्यालय/ गोदाम/ प्रयोगशाला/ कार्यशाला इत्यादि) स्थायी/ अस्थायी प्रकृति के हैं, जो वर्तमान में जर्जर होने के कारण अनुपयोगी हो गए हैं, ऐसे भवनों के कारण उन स्थलों का भी कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसम्पतियों की निलामी कर राजस्व की प्राप्ति के साथ–साथ उन स्थलों का भी उपयोग किया जा सकता है। जर्जर भवनों को निलामी के माध्यम से ध्वस्त कराकर स्थल को साफ कराया जाएगा। ऐसे भवनों को चिन्हित करके उनके अवशेष का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य अभियंता परिक्षेत्र स्तर पर अधीक्षण अभियंता, रूपांकन आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल (परिक्षेत्राधीन) की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरुप निम्न प्रकार रहेगा :–

क्र0	पदनाम	कार्य
1	अधीक्षण अभियंता, रुपांकन आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल (परिक्षेत्राधीन)	अध्यक्ष
2	कार्यपालक अभियंता, रुपांकन प्रमंडल (परिक्षेत्राधीन)	सदस्य
3	कार्यपालक अभियंता (संबंधित)	सदस्य सचिव
4	कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) (परिक्षेत्र के लिए प्राधिकृत)	सदस्य
5	कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (परिक्षेत्र के लिए प्राधिकृत)	सदस्य

समिति का गठन करने हेतु विभागीय पत्रांक–46 दिनांक–31.01.2024 निर्गत है। यह समिति ऐसे सभी भवनों को चिह्नित कर उनके अवशेष का मूल्यांकन करते हुए प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को समर्पित करेगें। मुख्य अभियंता ऐसे भवनों की निलामी की अनुमति देंगे तथा संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण करा कर प्रतिवेदन संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को उपलब्ध करायेंगे।

23. मरम्मती योग्य आवासीय भवनों को मरम्मत करा कर उपयोग में लाया जाएगा। जो भवन जर्जर अवस्था में नहीं हैं, जिनकी संरचना ठीक (Structurally Sound) है, परन्तु उपयोग में नहीं रहने के कारण अनुपयोगी हो चुके हैं, उन्हें मरम्मत करा कर उपयोग में लाया जाएगा। इन भवनों के वर्त्तमान स्थिति का आकलन मुख्य अभियंता परिक्षेत्रों में अधीक्षण

अभिंयता की अध्यक्षता में गठित (कंडिका–23) समिति के द्वारा किया जाएगा। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य अभिंयता निर्णय लेकर मरम्मति हेतु आदेश निर्गत करेगें एवं भवन जिसे उपयोगी बनाया जायेगा उसकी सूचना अपने अभिंयता प्रमुख के साथ–साथ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को समर्पित करेगें।

24. सभी आवासीय भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का पालन किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी से Fire Audit करा कर इनके सुझाव के अनुसार सुरक्षात्मक कार्य कराया जाएगा।

25. नये आवासीय भवन का Typical Standard रूपांकन एवं रेखांकन (Design & Drawing) केन्द्रीय रूपांकन एवं गुण नियंत्रण, पटना के द्वारा अपेक्षित सुविधाओं के अनुसार तैयार कराया जाएगा।

26. आवासीय भवनों के छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था ऊर्जा विभाग के समन्यव से की जाएगी।

27. आवासीय भवनों की विशेष मरम्मति हेतु संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समीक्षोपरांत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

28. आवासीय भवनों में जो भी कार्य (नया अथवा मरम्मति का) कराए जायेंगे उनका रंगीन फोटोग्राफ के रूप में (A-4 पेपर पर) प्रिंट कर तिथिवार संचिका में संधारित किया जाएगा। यह संचिका उस कार्यालय का रहेगा जहाँ कार्य कराया जा रहा है।

29. वरीय पदाधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (**परिशिष्ट–IV** के रूप में संलग्न) को भी एक संचिका में संधारित की जाएगी, जिसमें तिथिवार इसे रखा जाएगा तथा नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा इन पर दिये गये निदेश के अनुपालन के स्थिति की मासिक समीक्षा कर संचिका में अंकित किया जाएगा।

30. सिंचाई प्रक्षेत्रों के आवासों के सुचारू संचालन/संधारण/सामान्य रख–रखाव पर व्यय होने वाली राशि को माँग संख्या–49 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के मुख्य शीर्ष–2700 मुख्य सिंचाई, उप मुख्य–शीर्ष–04– सिंचाई परियोजनाएं (वाणिज्यक) लघु शीर्ष–101– रख–रखाव और मरम्मत, उपशीर्ष–0001 अन्य रख–रखाव व्यय, विपत्र कोड–49–2700041010001 के विषयशीर्ष 27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत से भारित किया जाएगा।

31. बाढ़ प्रक्षेत्रों तथा मुख्यालय परिक्षेत्र के नियंत्रण वाले आवासों के सुचारू संचालन/संधारण/सामान्य रख–रखाव व्यय होने वाली राशि की माँग संख्या–49 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य शीर्ष–2711–बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकाय, उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्र, लघु शीर्ष–103 सिविल निर्माण कार्य, उप शीर्ष–0002–अन्य रख–रखाव व्यय, विपत्र कोड–49–2711011030002 के विषयशीर्ष 27 02 अनुश्रवण एवं मरम्मत से भारित किया जाएगा।

32. संबंधित मुख्य अभियंता आवासों के तीन वर्षीय रख–रखाव हेतु आवंटित राशि से किए गए कार्य एवं व्यय का पूर्ण विवरणी तथा कार्यालयों के अन्दर तथा बाहर का फोटोग्राफ संलग्न करते हुए अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन संबंधित अभियंता प्रमुख को उपलब्ध कराएगें।

33. आवासों के संचालन/संधारण/सामान्य वार्षिक रख–रखाव पर होने वाले व्यय का लेखा–जोखा रखने हेतु व्यय पंजी संधारित की जाएगी। इस पंजी में प्रभारी कनीय अभियंता के द्वारा वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त कंडिका–19 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध किए गए व्यय का ब्योरा दर्ज किया जाएगा, जिसका सत्यापन सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता करेगें। (अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता भी उनके अपने आवास पर में हुए व्यय का सत्यापन करेगें)।

34. प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह में (मुख्यालय द्वारा संसूचित तिथि पर) सभी परिक्षेत्रों (वाल्मी सहित) के साथ मुख्यालय स्तर पर एक समीक्षात्मक बैठक होगी, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया के बिन्दुओं को समीक्षा की जा सकेगी।

अनु0–परिशिष्ट–I, II, III & IV

15.3.24

(संजीव शैलेश)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक–15.03.2024
प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०) /महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.3.24

(संजीव शैलेश)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/24

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

प्रतिलिपि – सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/24

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग /अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/24

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

प्रतिलिपि – सभी अभियंता प्रमुख /सभी मुख्य अभियंता /सभी संयुक्त सचिव /सभी अधीक्षण अभियंता /सभी निदेशक /सभी संयुक्त निदेशक /सभी कार्यपालक अभियंता /सभी उप सचिव /सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग /स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, काठमाण्डू (नेपाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/24

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 21/विभागीय भवन–17–01/2024– 153 पटना, दिनांक– 15.03.2024

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेब–साईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से पत्र भेजने हेतु प्रेषित ।

15/3/24

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

परिशिष्ट–I

आवासीय भवन के सुचारू संचालन/संधारण/सामान्य रख–रखाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की विवरणी

1. आवासीय भवनों में पुराने मरम्मती योग्य भवनों के सभी अवयवों (Components) यदि खराब स्थिति में हैं, तो उनकी मरम्मती करायी जाएगी।
2. यदि आवासीय भवनों के छतों पर पानी का जमाव होता है, जिसके कारण दीवारों पर सीलन का प्रभाव दिखता है, तो उनके छतो को पानी के बहाव के लिए न्यूनतम् आवश्यक 1:200 के ढ़लान में मरम्मत करा कर ठीक किया जाएगा।
3. आवासीय भवनों के रसोई घर, स्नानघर तथा शौचालय को आवश्यकतानुसार उन्नत किया जाएगा। इनमें जमीन तथा दीवालों पर टाइल्स लगाया जाएगा। जिन रसोईघरों में Working Platform नहीं है वहाँ Platform बना कर इनके Top पर काला ग्रेनाइट लगाया जाएगा। प्रत्येक Working Platform के साथ kitchen Sink लगा रहेगा। इनमें पाइप के द्वारा पानी का Supply किया जाएगा। रसोई तथा गुसलखानों में Exhaust fan को लगाया जाएगा।
4. यदि जर्जर आवासीय भवनों की संख्या किसी श्रेणी में न्यूनतम् 04 (चार) या इससे अधिक है तो इसके बदले में बहुमंजिला भवनों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। इन्हें मुख्यतः Framed structure के रूप में कराया जाएगा, जिसके भू–तल पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
5. आवासीय भवनों में बहुमंजिला भवनों का निर्माण परिसर में जल जमाव के उच्चतम् स्तर/नजदीक के सड़क के तल से कम से कम 1 मी0 ऊँचे स्थल पर कराया जाएगा। यदि परिसर के अन्दर जमीन का Level वर्त्तमान में सभी स्थानों पर जल जमाव वाला है तो प्रस्तावित परिसर की जमीन को भर कर ऊँचा कर जल जमाव से मुक्त रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। परिसर में Topography के अनुसार सम्प की व्यवस्था की जाएगी।
6. आवासीय भवन में नव निर्माण का Typical Design तथा Drawing मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना द्वारा वर्तमान में लागू भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
7. आवासीय भवनों का Typical Design तथा Drawing उसके Type के अनुसार अलग–अलग बहुमंजिला Framed structure भवन के रूप में किया जाएगा।
8. आवासीय भवन के सभी आवासीय कॉलोनी में यथा संभव एक Technical Room एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी।
9. नये आवासीय भवनों के निर्माण की स्थिति में यथासम्भव वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। परिसर में वृक्षारोपण किया जाएगा।
10. नए आवासीय भवनों का रूपांकन एवं निर्माण अद्यतन अग्नि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

11. आवासीय भवनों की आंतरिक एवं बाह्य सुन्दरता सदैव अक्षुण्य रखने के लिए नियमित रूप से रंगाई–पुताई की जायेगी (व्यापक रंगाई–पुताई प्रत्येक–03 (तीन) वर्षो पर की जायेगी) परन्तु आवासीय भवन के बाहरी दीवार एवं कमरें तथा बरामदा को दाग धब्बा रहित रखने हेतु बीच–बीच में भी Touch-up किया जायेगा ।
12. आवासीय भवनों के छत, (roof) दीवार, Ceiling एवं ड्रेन पाईप इत्यादि की मरम्मति कर इसे पूर्ण रूपेण Leakage & Seepage रहित रखने की व्यवस्था की जायेगी ।
13. आवासीय भवनों का नियमित रूप से Pest Control किया जायेगा ।
14. आवासीय भवनों के दरवाजों एवं खिड़कियों का सही ढंग से खुलना, बन्द होना सुनिश्चित किया जायेगा ।
15. आवासीय भवनों के दरवाजें एवं खिडकियों के टूटे हुए शीशों का अविलम्ब बदलना सुनिश्चित किया जायेगा ।
16. आवासीय भवनों के वॉश रूम एवं शौचालयों के सभी प्लम्बिंग कार्य को सही स्थिति में रखते हुए उन्हें Leakage Proof रखा जायेगा ।
17. आवासीय भवनों के पानी टंकी की सफाई वर्ष में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से की जायेगी । टंकी की सफाई के उपरान्त टंकी पर सफाई की तिथि अंकित की जायेगी ।
18. सेप्टिक टैंक में लीकेज आदि की जांच नियमित रूप से की जाएगी। लीकेज आदि होने पर आवश्यकतानुसार इसका मरम्मत कराया जाएगा।
19. आवासीय भवनों के मुख्य द्वार पर आवासीय भवन का प्रकार एवं क्रमांक का बोर्ड लगाया जायेगा ।
20. आवासीय भवनों के ध्वस्त होने योग्य भवनों को निलामी के माध्यम से हटा दिया जायेगा ।

प्रारूप

परिशिष्ट-।।

आवासीय भवनों तथा परिसर के रख–रखाव हेतु वार्षिक तथा त्रैवार्षिक अनुमानित राशि					
क्र० सं०	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	आवासों की संख्या	वार्षिक रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि	त्रैवार्षिक रख–रखाव हेतु संभावित व्यय (वार्षिक रुप से आकलित)	अभियुक्ति
			राशि (रु० में)	राशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	6
1	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण				
	मु०अभि० पटना	0	0	0	
	मु०अभि० गोपालगंज	5	32,400	91,200	
	मु०अभि० मुजफ्फरपुर	1047	32,36,400	77,00,400	
	मु०अभि० समस्तीपुर	354	19,47,600	47,84,400	
	मु०अभि० वीरपुर	1202	40,68,000	89,60,400	
	मु०अभि० कटिहार	75	3,44,400	8,14,800	
	योग	**2683**	**96,28,800**	**2,23,51,200**	
2	सिंचाई सृजन				
	मु०अभि० सीवान	732	38,92,800	93,25,200	
	मु०अभि० मोतिहारी	1264	66,15,600	1,57,62,000	
	मु०अभि० दरभंगा	996	49,04,400	49,04,400	
	मु०अभि० सहरसा	544	27,63,600	60,01,200	
	मु०अभि० भागलपुर	720	36,70,800	87,27,600	
	मु०अभि० बिहारशरीफ	80	4,29,600	10,29,600	
	मु०अभि० गया	133	6,79,200	16,16,400	
	मु०अभि० औरंगाबाद	418	21,30,000	51,60,000	
	मु०अभि० डिहरी	718	35,66,400	2,58,66,000	
	शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2, खगौल	13	86,400	2,44,800	
	योग	**5618**	**2,87,38,800**	**7,86,37,200**	
	वाल्मी	**284**	**11,71,200**	**28,08,000**	

परिशिष्ट–III

आवासीय परिसर के सुचारू संचालन/संधारण/सामान्य रख–रखाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की विवरणी

1. आवासीय परिसरों में यदि पक्की चहारदीवारी है तो उसका आवश्यकतानुसार रंग–रोगन कराया जाएगा।
2. जिन आवासीय परिसरों की चाहरदीवारी टूटी हुई है और जिनकी मरम्मती आवश्यक है, उसे आवश्यकतानुसार मरम्मती कार्य करा कर ठीक करा लिया जाएगा।
3. जिन आवासीय परिसरों की चहारदीवारी नहीं है उनका निर्माण मितव्ययिता को ध्यान में रख कर किया जाएगा। नए चहारदीवारी के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो के राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code/Bihar Building Bylaws समय–समय पर संशोधित के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
4. आवासीय परिसरों में आगमन तथा निकासी के स्थान पर स्टील का फाटक, जिसमें बड़ा वाहन जा सके तथा उससे सटे चौकीदार के लिए एक कमरा (यूरिनल सहित) का प्रावधान किया जाएगा।
5. आवासीय परिसरों के आगमन तथा निकासी द्वार पर परिसर के नक्शे के धातु को पेंट कर के स्थापित किया जाएगा।
6. आवासीय परिसर के सड़कों को ठीक अवस्था में रखा जाएगा तथा आवश्यकतानुसार टूटे हुए स्थानों की मरम्मती कराई जाएगी।
7. आवासीय परिसरों में आवश्यकतानुसार प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
8. आवासीय परिसरों का Drainage प्लान तैयार कराया जाएगा, तद्नुसार सड़कों की स्थिति की भी जाँच की जाएगी। इसके अनुसार जमाव की समस्या (यदि हो) का समाधान किया जाएगा।
9. आवासीय परिसर में भवनों के लिए Common Septic Tank है तो उसकी स्थिति की जाँच की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार मरम्मती/सफाई करा कर ठीक करा लिया जाएगा।
10. आवासीय परिसरों में जलापूर्ति की व्यवस्था (Pipe flow /Potable Water) की जाएगी।
11. आवासीय परिसरों के खाली स्थानों, सड़क के किनारे आदि स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
12. जहाँ आवासीय भवनों का Numbering /Naming (नामाकरण) नहीं है वहाँ उनका Numbering /Naming कराया जाएगा।
13. आवासीय परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु यदि स्थल उपलब्ध हो तो चिह्नित कर ऊर्जा विभाग से संपर्क कर स्थापित कराया जायेगा।

प्रपत्र

परिशिष्ट–IV

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आवासीय परिसरों एवं आवासीय भवनों का पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण का चेकलिस्ट (Inspection Checklist) प्रपत्र।

आवासीय परिसर भवन का नाम–

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम–

निरीक्षण की तिथि–

क्र0 सं0	आवासीय भवनों एवं आवासीय परिसर के रख–रखाव से संबंधित मदों की विवरणी	हाँ (Yes)	नहीं (No)	अभ्युक्ति
		3	4	5
1	2			
1	क्या आवासीय परिसर की चहारदीवारी का रंग–रोगन कराया गया है ?			
2	क्या आवासीय परिसर की टूटी हुई चहारदीवारी की मरम्मती करा ली गई है ?			
3	क्या आवासीय परिसर जिनमें चहारदीवारी नहीं है उसका निर्माण करा लिया गया है ?			
4	क्या आवासीय परिसर के आगमन तथा निकासी के स्थान पर स्टील का फाटक है जिससे बड़े वाहन सुगमता से गुजर सके ?			
5	क्या आवासीय परिसर की आगमन तथा निकासी द्वार पर चौकीदार के लिए कमरे (यूरिनल सहित) की व्यवस्था है ?			
6	क्या आवासीय परिसर के आगमन तथा निकासी द्वार पर परिसर के नक्शे को धातु की चदरी पर पेंट कर के स्थापित किया है ?			
7	क्या आवासीय परिसर की सड़को को ठीक अवस्था में रखा गया है ?			
8	क्या आवासीय परिसर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है ?			
9	क्या आवासीय परिसर जल–जमाव मुक्त हैं ?			
10	क्या आवासीय परिसर में Common Septic Tank (यदि हो) की मरम्मती/सफाई ठीक से करा ली गयी है ?			
11	क्या आवासीय परिसर में जलापूर्ति (Pipe flow /Potable Water) की व्यवस्था की गयी है ?			
12	क्या आवासीय परिसर के खाली स्थानों, सड़क के किनारे आदि स्थलों पर वृक्ष लगाए गये हैं ?			
13	क्या आवासीय परिसर में भवनों का Numbering/नामाकरण किया गया है ?			
14	क्या आवासीय परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है ?			
	आवासीय परिसरों में स्थित आवासीय भवनों के लिए			
1	क्या आवासीय भवनों की मरम्मति की गयी है ?			
2	क्या आवासीय भवनों के छत जल–जमाव मुक्त हैं ?			
3	क्या आवासीय भवनों के रसोई घर, स्नानघर तथा शौचालय को उन्नत किया गया है ? क्या जमीन तथा दीवालों पर टाइल्स लगाया गया है ?			
4	क्या रसोईघरों में Working Platform के Top पर काला ग्रेनाईट लगाया गया है ? क्या रसोई तथा गुसलखानों में Exhaust fan लगाया गया है ?			
5	क्या नवनिर्मित आवासीय बहुमंजिला भवनों में पार्किंग की व्यवस्था है ?			
6	क्या नवनिर्मित आवासीय बहुमंजिला भवनों का भू–तल जल–जमाव से मुक्त है ?			
7	क्या भवन का रंग–रोगन किया गया है ?			
8	क्या आवासीय कॉलोनी में Technical Room एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था की गयी है ?			
9	क्या आवासीय भवनों के निर्माण में वृक्षों की कटाई अथवा उन्हें हटाने की स्थिति में उसी परिसर में प्रत्येक वृक्ष के बदले में नये वृक्ष को लगाया गया है ?			
10	क्या नए आवासीय भवनों में अद्यतन अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है ?			
11	क्या भवन का जल निकासी की व्यवस्था सही है ?			
12	क्या भवन की दीवार /छत में सीलन पाया गया ?			
13	क्या भवन का सेप्टिक टेंक तथा स्वायल पाइप में लीकेज रहित है ?			
14	क्या भवन का क्रमांक उस भवन पर पाया गया ?			
15	क्या भवन के अंदर बिजली के तार व्यविस्थत रुप में है ?			
16	क्या दरवाजे तथा खिड़कियाँ ठीक अवस्था में है ?			
17	क्या दरवाजे तथा खिड़कियों के शीशे टूटे हुए है ?			

विशेष सुझाव–(यदि है तो) :–

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर